राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प–5(49)आ.कृ./कृ.सू./वीडियो/2018–19/ 1726-28 दिनांकः 15/6/2018

अल्पकालीन बोली सूचना

कृषि विभाग राजस्थान द्वारा कृषि की उन्नत तकनीक व विभागीय योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुचांने के लिए "खेती बाड़ी–2" कार्यक्रम दूरदर्शन केन्द्र पर प्रत्येक गुरूवार प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर से दरें प्राप्त करने हेतु अल्पकालीन बोली दिनांक 22.06.2018 को मध्यान्ह पश्चात 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। बोली की शर्तें निम्नानुसार हैः–

1. अनुबन्ध की अवधि 1 जुलाई, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक होगी।
2. अनुबन्ध को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29 (2) के अनुसार अधिकतम 3 माह तक आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।
3. कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम "खेती बाड़ी–2" का प्रसारण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई तकनीकी सामग्री के अनुसार करना होगा।
4. कार्यक्रम के प्रसारण की कुल अवधि 30 मिनट होगी, जिसमें तकनीकी प्रसारण समय 22.30 मिनट (मय FCT) होगा।
5. प्रायोजित कार्यक्रम "खेती बाड़ी–2" का प्रसारण दूरदर्शन के डीडी राजस्थान चैनल से किया जावेगा।
6. प्रायोजित कार्यक्रम "खेती बाड़ी–2" का प्रसारण प्रत्येक गुरूवार को निर्धारित समय पर किया जाना आवश्यक है। अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम का प्रसारण नही होने की स्थिति में उस दिवस का भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. प्रायोजित कार्यक्रम "खेती बाड़ी–2" में देय 210 सैकण्ड विभाग के विज्ञापनों के लिए मुफ्त विज्ञापन समय (FCT) दिया जावेगा।
8. प्रायोजित कार्यक्रम "खेती बाड़ी–2" के लिए भुगतान हेतु दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर द्वारा प्रतिमाह निर्धारित समय पर बिल प्रस्तुत करना होगा।
9. दरें प्रति एपिसोड के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी, यदि किसी प्रकार का कर देय है तो दरों के साथ पृथक से दर्शाया जावे।
10. प्रायोजित कार्यक्रम "खेती बाड़ी–2" राजकीय है अतः दरें प्रस्तुत करते समय नियमानुसार अधिकतम छूट देते हुए उसका उल्लेख किया जावे।
11. प्रायोजित कार्यक्रम "खेती बाड़ी–2" का प्रसारण कृषि विभाग अथवा दूरदर्शन केन्द्र किसी के भी द्वारा अनुबन्ध अवधि के दौरान बन्द किया जाता है तो इसकी सूचना 2 माह (60 दिवस) पूर्व एक दूसरे को देनी होगी।
12. बोली प्रतिभूति के स्थान पर केन्द्र सरकार का उपक्रम होने सम्बन्धि घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त कृषि

Scanned by CamScanner

क्रमांक : प–5(49)आ.कृ./कृ.सू./वीडियो/2018–19/1726-28 दिनांक : 15/6/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर
2. एसीपी, कृषि मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि बोली सूचना को राज्य लोक उपापन पोर्टल http:/sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट www.agrticulture.rajasthan.gov.in पर आज ही अपलोड करावें।
3. श्री कालूराम मीणा, डार्क रूम सहायक, सूचना शाखा को भेजकर लेख है कि बोली सूचना को कृषि आयुक्तालय, राज., जयपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।

(डॉ0 अतर सिंह मीना)
उप निदेशक, कृषि (सूचना)

Scanned by CamScanner